उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

विविध (प्रतिबंधित सूची से मुक्त संबंधी) वाद संख्या संख्या–55/2023

गीता देवी

–बनाम–

राज्य, अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
18/03/24		

प्रस्तुत मामला गीता देवी, पति–राजेन्द्र मोदी के द्वारा मौजा–जबरा, थाना नं0–154 के खाता संख्या–35, प्लॉट संख्या–721, रकबा–15.50 डिसमिल रैयती भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने के निमित्त वकालतन आवेदन दाखिल जाने से संबंधित है।

आवेदक द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया जो निम्नवत है:–

1. अंचल सदर, अन्तर्गत मौजा–जबरा, थाना नं0–154 के खाता संख्या–35, प्लॉट संख्या–721, रकबा–15.50 डिसमिल भूमि सर्वे खतियान में जगदीश हजाम पिता–मानकी हजाम के नाम से दर्ज है जो रैयती खाते की भूमि है।
2. मौजा–जबरा, थाना नं0–154 के खाता संख्या–35, प्लॉट संख्या–721, रकबा–15.50 डिसमिल भूमि आवेदिका गीता देवी पिता–राजेन्द्र मोदी ग्राम–कुदर, पो0–धरगुली, थाना–बगोदर, जिला–गिरीडीह को विक्रय विलेख संख्या 7056 दिनांक 04.06.2008 के द्वारा हासिल है एवं उक्त भूमि पर उनका शांतिपूर्वक दखल कब्जा है।
3. अंचल कार्यालय द्वारा प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज वाद संख्या 367/09–10 के द्वारा उनके नाम से करते हुए मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया, जो अंचल कार्यालय के पंजी II के पृष्ठ संख्या–103 भौलूम–VII में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि का मालगुजारी रसीद वर्ष 2009–10 तक निर्गत है।
4. यह कि आवश्यक कार्यवश उक्त भूमि को बिक्री करने के उददेश्य से सम्पर्क करने पर जानकर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि प्रतिबंधित सूची में होने के कारण बिक्री पर रोक है, जो कि विधिसंगत नहीं है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपरोक्त तथ्यों को रखते हुए आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

वर्णित परिस्थितियों में प्रश्नगत भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग के पत्रांक 1269 दिनांक 05.07.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि :–

"मौजा–जबरा, थाना नं0–154 अन्तर्गत खाता नं0–35, प्लॉट नं0–721, रैयती खाते की भूमि है। गीता देवी, पति–राजेन्द्र मोदी को निबंधित केवाला संख्या–7056, दिनांक 07.06.2008 द्वारा खाता नं0–35, प्लॉट संख्या–721, रकबा–15.50 डी0 भूमि खरीदगी से हासिल है। दाखिल खारिज होने के पश्चात गीता देवी के नाम से जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ संख्या–103/VII पर दर्ज है। लगान रसीद 2009–10 तक निर्गत है।

आवेदक द्वारा अपने पक्ष में निम्न कागजात प्रस्तुत किया गया है:–

1. केवाला संख्या–7056 दिनांक 07.06.2008 की छायाप्रति।
2. लगान रसीद वर्ष 2009–10 तक की छायाप्रति।
3. शुद्धि पत्र की छायाप्रति।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा मंतव्य दिया गया है कि अंचल अधिकारी के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदिका द्वारा अभिलेख के संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि रैयती खाते है कि है जिसे प्रतिबंधित सूची से मुक्त किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, सदर के प्रतिवेदन तथा उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा विभिन्न तिथियों में की गई सुनवाई में पाये गये तथ्यों से स्पष्ट होता है कि:–

(i) अंचल सदर, अन्तर्गत मौजा–जबरा, थाना नं0–154 के खाता संख्या–35, प्लॉट संख्या–721, रकबा–15.50 डिसमिल भूमि रैयती खाते की है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

(ii) मौजा–जबरा, थाना नं0–154 के खाता संख्या–35, प्लॉट संख्या–721, रकबा–15.50 डिसमिल भूमि की जमाबंदी पंजी II के पृष्ट संख्या–*103* भाग संख्या–*VII* में गीता देवी, पति–राजेन्द्र मोदी के नाम से कायम है। लगान रसीद वर्ष 2009–10 तक निर्गत है।

(iii) उक्त भूमि आवेदक को केवाला संख्या–7056 दिनांक 07.06.2008 के द्वारा प्राप्त है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि रैयती प्रतिवेदित है। भूमि को प्रतिबंधित सूची में रखने का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर के प्रतिवेदन, वादी के अभिकथन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रश्नगत भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदक, जिला अवर निबंधक एवं अंचल अधिकारी, सदर को भेजी जाय।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग सत्यमेव जयते

लेखापित एवं संशोधित

18/3/24

उपायुक्त, हजारीबाग।

18/3/24

उपायुक्त, हजारीबाग।

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.07.11 17:33:52 +05:30
Location: 192.168.1.6